न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—32/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री पोला सिंह पता—वार्ड नं. 03 हांसलिया, बिलोचनवाली 3, एलकेएस, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह पता—वार्ड नं. 03 हांसलिया, बिलोचनवाली 3, एलकेएस, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी/सहऋणी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः—05.07.2023**

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर—302019 राज. में स्थित व कार्यरत है तथा जिसका पंजिकृत कार्यालय चौथी मंजिल, फेज—।।, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई, चैन्नई—600002 तमिलनाडू है। श्री जितेन्द्र सिंह प्रार्थी बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी है।

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री गुरप्रीतपाल सिंह व रमेश स्वामी वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी/सहऋणी श्री जोगेन्द्र सिंह व श्रीमती अमनदीप कौर को ऋण खाता संख्या SEHNUMN0297398 में ऋण राशि रूपये 5,01,000/— (अखरे पांच लाख एक हजार रूपये) की ऋण सुविधा दिनांक 19.08.2020 को स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति—प्लॉट संख्या 49, वार्ड सं. 03, हांसलिया वीपीओ बिलोचनवाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है जो श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री पोला सिंह के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट है जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय पर चुकाने में असफल होनें पर ऋणी के ऋण खाता को बैंक द्वारा नियमानुसार दिनांक 08.08.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक 24.08.2022 प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 27.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भेज कर बकाया ऋण राशि 5,08,733/-(अखरे पांच लाख आठ हजार सात सौ तैतिस रूपये) दिनांक 22.08.2022 तक एवं इसके पश्चात का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब/आपत्ति दी गई।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति-प्लॉट संख्या 49, वार्ड सं. 03, हांसलिया वीपीओ बिलोचनवाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है जो श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री पोला सिंह के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़